न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./28/2017/जैसलमेर

अपीलांट

1. बाजाराम पुत्र मंगलाराम
2. बांकाराम पुत्र मंगलाराम
3. जेठाराम पुत्र मंगलाराम
4. डूंगराराम पुत्र सुरताराम
5. सावलाराम पुत्र सुरताराम
6. बाबूराम पुत्र सुरताराम
7. नैनाराम पुत्र सुरताराम
8. हनुमानराम पुत्र सुरताराम
   जाति विश्नोई निवासी धोलिया
   तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. नगाराम पुत्र बखताराम
2. राजाराम पुत्र रामरख
3. बुधाराम पुत्र रामरख
4. सुनील पुत्र रामरख
5. श्रीमती तुलछी पत्नी रामरख
6. रेशमाराम पुत्र मुकनाराम
7. सोहनलाल पुत्र मुकनाराम
8. रामनिवास पुत्र मुकनाराम
9. शिवनारायण पुत्र मुकनाराम
10. शिवशुभाग पुत्र मुकनाराम
11. भाखराराम पुत्र सुरताराम
12. जगमाल पुत्र सांवताराम
13. दीनाराम पुत्र खेराजराम
14. भोजाराम पुत्र खेराजराम
15. मानाराम पुत्र हरजीराम
16. श्रीमती माड़ूदेवी पत्नि सुरताराम
17. श्रीमती शांति देवी पत्नि दीनाराम
18. प्रकाश पुत्र दीनाराम
19. महिपाल पुत्र दीनाराम
20. सुनील पुत्र दीनाराम
21. श्रीमती सुगणी पत्नि करनाराम
22. मांगीलाल पुत्र करनाराम
23. हरीराम पुत्र करनाराम
24. रामरख पुत्र करनाराम
25. श्रीमती मीरा बेवा मगनराम
26. नीम्बाराम पुत्र मगनाराम
27. आम्बाराम पुत्र मगनाराम
28. मोहन पुत्र मगनाराम जाति विश्नोई निवासी धोलिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
29. मैनेजर स्टैट बैक ऑफ इण्डिया शाखा लाठी तहसील पोकरण
30. श्री तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./42/2017/जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

भोजाराम पुत्र खेराजराम उम्र 52 वर्ष **बनाम**
जाति विश्नोई निवासी धोलिया
तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

1.नगाराम पुत्र बखताराम उम्र 70 वर्ष
2.राजूराम पुत्र रामरख उम्र 40 वर्ष
3.बुधाराम पुत्र रामरख उम्र 35 वर्ष
4.सुनिल पुत्र रामरख उम्र 28 वर्ष
5.तुलछी पत्नी रामरख उम्र 60 वर्ष
6.रेशमाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 50 वर्ष
7.सोहनलाल पुत्र मुकनाराम उम्र48 वर्ष
8.रामनिवास पुत्र मुकना उम्र 34 वर्ष
9.शिवनारायण पुत्र मुकना उम्र 32 वर्ष
10.शिवसुभाग पुत्र मुकना उम्र 30 वर्ष
11.जेठाराम पुत्र मंगलाराम उम्र वर्ष
12.बांकाराम पुत्र मंगलाराम उम्र वर्ष
13.बाजाराम पुत्र मंगलाराम उम्र वर्ष
14.बाबूराम पुत्र सुरताराम उम्र 65 वर्ष
15.डूंगराराम पुत्र सुरताराम उम्र 53 वर्ष
16.नैनाराम पुत्र सुरताराम उम्र 50 वर्ष
17.सांवलाराम पुत्र सुरताराम उम्र 48 वर्ष
18.जगमाल पुत्र सांवताराम उम्र 85 वर्ष
19.दीनाराम पुत्र खेराजराम उम्र 54 वर्ष
20.मानाराम पुत्र हरजीराम उम्र 70 वर्ष
21.भाखराराम पुत्र सुरताराम उम्र 50 वर्ष
22.हनुमानराम पुत्र सुरताराम उम्र 48 वर्ष
23.माडूदेवी पत्नी सुरताराम 70 वर्ष
24.शांतिदेवी पत्नी दीनाराम 50 वर्ष
25.प्रकाश पुत्र दीनाराम उम्र 30 वर्ष
26.महिपाल पुत्र दीनाराम उम्र 25 वर्ष
27.सुनिल पुत्र दीनाराम उम्र 24 वर्ष
28.सुगणी पत्नी करनाराम 70 वर्ष
29.मागीलाल पुत्र करनाराम 45 वर्ष
30.हरीराम पुत्र करनाराम 40 वर्ष
31.रामरख पुत्र करनाराम 38 वर्ष
32.मीरां बेवा मगनाराम 75 वर्ष
33.निम्बूराम पुत्र मगनाराम 55 वर्ष
34.आम्बाराम पुत्र मगनाराम 50 वर्ष
35.मोहन पुत्र मगनाराम 40 वर्ष
जातियान विश्नोई निवासी धोलिया
तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
36.तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व वाद सं. 12/1993 अनवान वादी बखताराम बनाम खेराजराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.1994।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवनगिरी सोड़ियार रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 13.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 1 के पिता व उतरदाता संख्या 2 से 5 के दादा बखता (वादी) ने बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि मौजा धोलिया पटवार सर्किल लाठी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 83.14 बीघा वाद व प्रतिवादीगण का आया हुआ है। उक्त भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा से रकबा 06. 19 बीघा भूमि वादी के बंट में आती है तथा उक्त हिस्से पर वादी का कब्जा वक्त सेटलमेंट के समय से चला आ रहा है तथा वादी उस हिस्से का खातेदारी काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सम्मन जारी किये गये तथा अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जारी सम्मन अपीलांट के पिता से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ तथा अपीलांट के पिता से व्यक्तिगत तामिल करवाये बिना ही दिनांक 22.07.1993 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी अकेले की साक्ष्य रेकर्ड पर बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सम्मन जारी किये गये तथा अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जारी सम्मन अपीलांट के पिता से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ तथा अपीलांट के पिता से व्यक्तिगत तामिल करवाये बिना ही दिनांक 22. 07.1993 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी अकेले की साक्ष्य रेकर्ड पर बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है जो की प्राकृतिक न्याय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है एवं एवं निर्णय विधिसम्मत पारित किया है लेकिन न्यायालय हाजा. को प्रकरण में कोई सारवान बिंदु जो न्यायोचित हो तो प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि अरसा एक माह पूर्व जब दिनांक 06.01.2017 को अपीलांट ने अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया तब सीमाज्ञान के दौराने अपीलांट के वर्षों पुरानी कब्जे काश्त की भूमि राजस्व रेकर्ड में उतरदाता संख्या 1 से 5 के नाम उक्त राजस्व वाद में बंटवाड़े के लिये प्राप्त होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट उक्त राजस्व वाद की नकले दिनांक 23.01.2017 को मांगी जो नकले तैयार होकर दिनांक 26.01.2017 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई। तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्‌भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008 Page 601
RRT 1998 Page 319

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी सद्‌भाविक है। अतः इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि मामले में कोई प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई और न ही मौके से जरिये तहसीलदार पोकरण कोई विभाजन प्रस्ताव ही मंगवाया गया। रेस्पोडेंट के एकतरफा 1/12 हिस्सा को घोषित कर देने के पश्चात सभी सहकाश्तकारों के साथ भूमि का विभाजन **बाई मिटस एण्ड बॉउण्ड** के आधार पर नहीं किया जाना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ एवं जोत विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है। इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इन सब तथ्यों के आलोक में न्यायालय अपील अपीलांट को रिमांड किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर सहायक कलक्टर पोकरण के राजस्व वाद संख्या 12/1993 बनवान बखताराम बनाम खेराजराम में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1994 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित मौका देते हुए साक्ष्य सबूत लेकर प्राथमिक डिक्री जारी करे तथा तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर ★

13/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner